न्यायालय सहायक कलक्टर एवं एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा

.... देवकरण .... बनाम .... सरकार वगैरहा ....

किस्म मुकदमा : **88, 188 आर.टी.ए.** प्रकरण संख्या .....34 / 11.........

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहमाक जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये हो।
09-05-2018	पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान 'न्याय आपके द्वार, 2018 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुख्यालय भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आज पेश हुई। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणवगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन किया। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि वादी द्वारा अपना वाद धारा 88, 188 RTA के अन्तर्गत इस आधार पर पेश किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 22-07-1982 को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र मुसम्मात नन्दकिशोर उर्फ नन्दकिशोरी एवं पुष्पा पिसरान केसर, जाति गुर्जर, निवासी भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा से ग्राम लक्ष्मीपुरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा के गत खसरा नम्बर 37 की 1 बीघा 18 बिस्वा आराजी का क्रय किया गया है जबकि राजस्व अभिलेख में आदिनांक तक वादी का नाम दर्ज नहीं किया गया है। अतः उपरोक्त विवादित आराजी के नये खसरा नम्बर 27 रकबा 0.31 हैक्टर का वादी को खातेदार घोषित कर प्रतिवादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा पेश कर निवेदन किया कि वादी बताता है कि उक्त आराजी क्रय की गई है, क्रय के बारे में आज दिन तक प्रतिवादीगण को नहीं बताया, वादी 1982 में क्रय करना बताता है जिससे वाद मियाद बाहर होने से खारिज योग्य है। वादी यदि रजिस्ट्री करवाता तो अपने नाम से नामान्तरकरण क्यों न तस्दीक कराया और नामान्तरकरण से सम्बन्धित कार्यवाही क्यों नहीं की क्योंकि वादी द्वारा अलग से नामान्तरकरण की कार्यवाही की जा सकती है, वाद पेश नहीं किया जा सकता। प्रतिवादीगण का नाम ही राजस्व रेकार्ड में दर्ज चला आ रहा है। अतः जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वादी का वाद सव्यय खारिज फरमाया जावे। हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण के आधार पर निस्तारण हेतु आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। तदुपरान्त प्रकरण के सम्बन्ध में हल्का पटवारी से मौके व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति की रिपोर्ट चाही गई जिसके राजस्व अभिलेख के अनुसार उनके द्वारा अवगत कराया गया कि विवादित आराजी के नामान्तरकरण सख्या 11 दिनांक 31-01-2018 से सम्पूर्ण खाता खसरा नम्बर 15, 16, 17, 18, 19, 26, 27, 28, 34, 43, 44, 48 / 63 कुल किता 12 रकबा 4.69 हैक्टर भूमि मुकन्दरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा के लिये वन विभाग को हस्तान्तरित हो चुकी है। स्पष्ट है कि प्रकरण की विवादित आराजी के खातेदारान को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे का भुगतान भी किया जा चुका है। वादी द्वारा धारा 188 RTA के अन्तर्गत वाद पेश किया गया है जबकि वाद करने की तिथि को वादीगण उक्त विवादित आराजी के रिकार्डेड खातेदार नहीं थे। उक्त विवादित आराजी वर्तमान में वन विभाग को हस्तान्तरित हो जाने के फलस्वरूप यह कृषि आराजी नही रही है। ज्ञातव्य है कि राजस्व न्यायालय को कृषि आराजी के विवादित प्रकरणें की सुनवाई का श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः विवादित आराजी के कृषि आराजी नहीं होने के फलस्वरूप इस राजस्व न्यायालय में प्रकरण को अनावश्यक लम्बित रखा जाना किसी भी स्तर पर न्यायोचित नही है। अतः स्वयं वादी के खातेदार नहीं होने तथा यह प्रकरण कृषि आराजी से सम्बन्धित नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 9/5/18	

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा एवं अध्यक्ष राजस्व लोक अदालत

न्याय आपके द्वार अभियान – 2018 : अटल सेवा केन्द्र, भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री दुर्गा शंकर मीना, R.A.S.

बउनवान :–

1	देवकरण आत्मज श्री कालूलाल आयु 55 वर्ष जाति गुर्जर निवासी अरनियां कलां तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
	(वादी)
	बनाम
1	राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
2	दुर्गा शंकर पुत्र राम प्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भीलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
3	देव बाई पुत्री रामप्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भिलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
4	मनभर पुत्री रामप्रताप पत्नी द्वारका, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम भिलोत, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासीगण फाटाखेडा, कोटा
	(प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 34 / 11
निर्णय दिनांक : 09-05-2018

न्याय आपके द्वार–2018 के अन्तर्गत अटल सेवा केन्द्र, भंवरिया, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में आज तारीख 09–05–2018 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाशंकर मीना, आर.ए.एस. (सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का उनके गुणावगुण के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त स्वयं वादी के खातेदार नहीं होने तथा यह प्रकरण कृषि आराजी से सम्बन्धित नहीं होने के कारण वाद वादी अस्वीकार कर खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 09.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

9/5/18
(दुर्गाशंकर मीना) आर.ए.एस
सहायक कलक्टर (मुख्यालय) एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
कोटा

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
25. वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	25. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
26. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		26. अर्जी के लिये स्टाम्प	
27. अदर्शो के लिये स्टाम्प		27. प्लीडर के लिये फीस	
28. .... रूपये पर प्लीडर की फीस		28. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
29. साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		29. आदेशिका की तामिल	
30. कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		30. कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	